

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 169वीं बैठक दिनांक
15 सितम्बर, 2020 का कार्यवृत्त**

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 169वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मेश्राम, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

उपस्थिति:-

- | | |
|--------------------------------|---|
| 01. श्री शिवाकान्त द्विवेदी | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 02. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा | अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि-सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन। |
| 03. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग। |
| 04. डा० अर्चना द्विवेदी | अपर नगर आयुक्त, प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। |
| 05. श्री मो० अली शफदर | अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद। |
| 06. सुश्री रेखा श्रीवास्तव | सहायक आयुक्त, उद्योग, प्रतिनिधि-संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |
| 07. श्री सुरेन्द्र सिंह परमार | परियोजना अभियन्ता प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम। |
| 08. श्री अनुपम श्रीवास्तव | क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि-महानिदेशक पर्यटन, उ०प्र०। |
| 09. श्री पी०एन० सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। |
| 10. श्री प्रदीप भार्गव | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। |
| 11. श्री पुष्कर शुक्ला | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। |

अन्य उपस्थिति:-

- | | |
|--------------------------------|--|
| 12. श्री अनिल भटनागर | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 13. श्री राजीव कुमार सिंह | वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 14. श्री इन्दु शेखर सिंह | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 15. श्री पी०सी० पाण्डेय | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 16. श्री चक्रेश जैन | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 17. श्री नितिन मित्तल | मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 18. श्रीमती ऋतु सुहास | संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 19. श्री पंकज कुमार | नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 20. श्री डी०एम० कटियार | मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 21. श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया और तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं०	विषय	निर्णय
169/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 24.07.2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।
169/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 24.07.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं कतिपय विषयों पर निम्नांकित निर्देश दिये गये:- ● बसंतकुंज हरदोई रोड योजना के अवशेष प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में निर्देश

		दिये गये कि अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति को प्रतिकर धनराशि प्रेषित किये जाने के उपरान्त काश्तकारों को प्रतिकर ससमय प्राप्त हो सके, इस हेतु आवश्यक पत्राचार एवं एक माह में उपभोग प्रमाण-पत्र मांगे जाने की कार्यवाही की जाय। अवशेष धनराशि दिये जाने की कार्यवाही की जाय। निर्देश दिये गये कि सहारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप के निरस्तीकरण उपरान्त आच्छादित समस्त भूमि का विस्तृत सर्वे कराया जाये, जिससे ग्राम समाज की भूमि, काश्तकारों/कोलोनाइजर्स के कब्जे की भूमि तथा अवैध कब्जे की भूमि की स्थिति स्पष्ट हो सके। सर्वे कार्य प्राथमिक नियोजन एवं योजना की फाइनैसियल वायबिलिटी हेतु यथा-आवश्यकता फाइनैसियल कंसलटेंट को आबद्ध किया जाये। प्रोजेक्ट के समग्र नियोजन की दृष्टि से कितनी भूमि पर क्या भू-उपयोग उपलब्ध होगा और प्रोजेक्ट की लागत का आंकलन किया जाय।
169/3	तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/हैसियत प्रमाण-पत्र लिये जाने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/हैसियत प्रमाण-पत्र लिये जाने की अनिवार्यता को विलोपित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
169/4	व्यवसायिक काम्पलेक्स, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार को एक साथ विक्रय करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सरस्वती अपार्टमेन्ट के बगल स्थित व्यवसायिक काम्पलेक्स, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार को एक साथ विक्रय करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
169/5	सीतापुर रोड में बस स्टेशन हेतु आरक्षित 5.00 एकड़ भूमि निर्धारित मूल्य का 10 प्रतिशत भुगतान परिवहन निगम द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को करते हुए बस स्टेशन का कब्जा प्राप्त कर तत्काल स्थल से परिवहन निगम की बसों का संचालन किये जाने एवं शेष 90 प्रतिशत धनराशि 15 वर्षों में परिवहन निगम द्वारा प्रतिवर्ष समान किश्तों में भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण को किये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि ब्याज सहित 15 वर्ष की वार्षिक 15 किश्तें बनायी जायेगी। यदि किश्तें जमा करने में विलम्ब होता है, तो दण्ड ब्याज देय होगा।



169/6	जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या-04, बेसमेन्ट की सर्किल दरों के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या-04 (बेसमेन्ट) की सर्किल दरों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 01.12.2015 को वाणिज्यिक अधिष्ठानों हेतु निर्गत मूल्यांकन सूची के अनुसार निर्माण लागत के आधार पर डिप्रीसिएटेड वैल्यू के अनुसार मूल्यांकन कर गणना की जाय।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय		
अ0वि0 169/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री राजकुमार, सहायक अभियन्ता को उनके पिता के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अ0वि0 169/2	श्री राजीव कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0), मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ, सम्बद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण की पत्नी स्व0 किरन लता सिंह, के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अ0वि0 169/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित योजनाओं में कोरोना महामारी (कोविड-19) एवं बरसात के मौसम के दृष्टिगत डेंगू बीमारी से बचाव हेतु सैनेटाइजेशन एवं एण्टीलार्वा फागिंग के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।
अ0वि0 169/4	गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बस अड्डा एवं बजट होटल के निर्माण एवं विकास कार्य में 10% से अधिक विचलन होने के कारण शासनादेश संख्या-4575/आठ-1-06-87/विविध/06 दिनांक 14.07.06 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बस अड्डा एवं बजट होटल के निर्माण एवं विकास कार्य में 10% से अधिक विचलन होने के कारण शासनादेश संख्या - 4575/आठ-1-06-87 विविध/06 दिनांक 14.07.2006 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन दिये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि यू0पी0एस0आर0टी0सी0 के अनुरोध पर जो कार्य कराये गये हैं, उनके विवरण सहित प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अन्त में उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल द्वारा निम्न निर्देश भी दिये गये:-

- अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण के लगभग 4000 अनावंटित फ्लैटों के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मूलभूत कमियों को चिन्हित कर उन्हें दूर किया जाय तथा Value Addition

कर निस्तारण किया जाय। साथ ही सम्बन्धित फ्लैट का सैम्पल मॉडल तैयार किया जाय और व्यापक प्रचार-प्रसार कर फ्लैट लेने के इच्छुक जन-सामान्य को स्थल पर विजिट कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक फ्लैटों का विक्रय किया जा सके।

- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह देख लिया जाय कि पूर्व में स्कूल हेतु आवंटित भूखण्डों पर स्कूल का निर्माण किया गया है अथवा नहीं। यदि नहीं तो सम्बन्धित को नोटिस जारी कर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय, साथ ही यह भी देख लिया जाय कि स्कूल भूखण्ड का किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग तो नहीं किया जा रहा है?


(अनिल भट्टनागर)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

15-09-20


(शिवाकान्त द्विवेदी)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

अनुमोदित


(मुकेश कुमार मिश्रा)
16/09/2020
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।